न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना,भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :–सुनील आर्य, आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर :– 02/2019

धारासिंह आयु 29 साल पुत्र रामचरन जाति जाटव निवासी लहचोरा खुर्द तहसील बयाना जिला भरतपुर

..........प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार बयाना तहसील बयाना

...........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवन्यू एक्ट।

निर्णय

दिनांक:–25.03.2021

उपस्थिति :– श्री अतरसिंह एडवोकेट .... प्रार्थी

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पुरानी आराजी खसरा नम्बर 42 रकवा 1 वीघा 10 विस्वा ग्राम मौजा लहचोरा खुर्द तहसील बयाना सिवायचक भूमि का प्रार्थी के पिता रामचरन के लिए दिनांक 20.06.1973 को ऐलोट किया गया था और ऐलोटमेन्ट होने के बाद प्रार्थी के पिता को कब्जा दिया गया प्रार्थी के पिता को जरिये नामान्तरकरण संख्या 69 तारीखी 02.12.1973 को गैर खातेदार कागजात पटवार में दर्ज किया गया। इसके बाद जमाबन्दी सम्वत् 2033 में प्रार्थी के पिता का नाम गैर खातेदारी का इन्द्राज दर्ज हो रहा है तथा जमीन की किस्म वारानी दर्ज जो रहा ही है किजो बदस्तूर सैटिलमैन्ट से पूर्व होती चली आ रही है। सैटिलमैन्ट में उक्त खसरा नम्बर 42 रकवा 1 बीघा 10 विस्वा का नवीन खसरा नम्बर 105 रकवा 0.14 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता व आराजी खसरा नम्बर 18 रकवा 0.10 हैक्टेयर चाही तृतीय बनाये गये कि जो खसरा नम्बर 105 रकवा 0.14 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता मौके के विपरीत बनाया गया है और इस सम्बन्ध में प्रार्थी का कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:37:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

मौके पर खसरा नम्बर 105 गैर मुमकिन रास्ता नहीं है और न ही रास्ते के काम आ रहा है और न ही मौके पर कोई रास्ता है बल्कि कृषि भूमि है जो कृषि के काम आ रही है प्रार्थी ने पिछली बार बाजरा व ढेंचा बोया था व अब सोहा की फसल खडी है। सैटिलमैन्ट के कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती व लापरवाही से खसरा नम्बर 105 रवका 0.14 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता गलत दर्ज कर दिया गया है । गैरमुमकिन रास्ता दर्ज होने से प्रार्थी को सख्त हक तलफी है तथा प्रार्थी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने का अन्देशा है । उक्त गलत तथ्य की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 16.01.2019 को पटवारी हल्का द्वारा धमकी दिये जाने पर पैदा हुई है। प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर 105 रकवा 0.14 हैक्टेयर में गैर मुमकिन रास्ता के स्थान पर बारानी किस्म दुरूस्त कराना चाहता है कि जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी की सेवा में पेश है। प्रार्थी के पिता रामचरन का देहान्त हो चुका है कि जिसका विरासत इन्तकाल नम्बर 117 दिनांक 05.02.2016 के स्थान पर उसके विधिक वारिसान के नाम दर्ज हो चुका है। इसके पश्चात इन्तकाल नम्बर 130 दिनांक 06.06.2018 को जरिये रिलीजडीड प्रार्थी के पक्ष में इन्द्राज दर्ज हो चुका है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर खसरा नम्बर 105 रकवा 0.14 की किस्म बारानी में किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया ।

प्रार्थना पत्र के अनुसार तहसीलदार बयाना से रिकार्ड व मौके की स्थिति चाही गई। तहसीलदार बयाना के कमांक /एल.आर. /2020/1982 दिनांक 30.06.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुआ । तहसीलदार बयाना ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम लहचोरा खुर्द के खसरा नम्बर 184 रकवा 0.10 किस्म चाही 3 व खसरा नम्बर 105 रकवा 0.14 किस्म गैर मुमकिन रास्ता धारासिंह पुत्र रामचरन जाटव निवासी [illegible] रिकार्ड है किन्तु आराजी खसरा नम्बर 105 रकवा [illegible] मौके पर रास्ता नहीं होकर कृषि के उपयो[illegible] । खसरा नम्बर 105 रकवा 0.14 किस्म गैर मुमकिन रास्ता वक्[illegible]टलमैन्ट से मिसल बन्दोबस्त में गैर मुमकिन रास्ता ही दर्ज होकर चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally sighed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:37:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

हमने विद्वान वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार को सुना पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। जमाबन्दी सम्वत् 207.–73 में खसरा नम्बर 105 रकवा 0.10 है किस्म गैर मुमकिन रास्ता है रामचरण की खातेदारी में दर्ज है। नामान्तरकरण 69 के अनुसार पुराना खसरा नम्बर 42 रकवा 1 बीघा 10 विस्वा रामचरण पुत्र भूरिया कौम जाटव सा.देह गैर खातेदार किस्म माल स्वीकार हुआ है इसके बाद जमाबन्दी सम्वत् 2033 में प्रार्थी के पिता रामचरण का नाम गैर ख़ातेदारी का इन्द्राज हुआ जिसकी किस्म वारानी दर्ज रिकार्ड है। परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2051–2070 (दौराने सैटिलमैन्ट) पुराना आराजी खसरा नम्बर 42 के नवीन खसरा नम्बर 105 रकवा 0.14 गैर मुमकिन रास्ता , 184 रकवा 0.10 चाही तृतीय दर्ज अभिलेख हुई है। अर्थात दोराने सैटिलमैन्ट पुराना आराजी खसरा नम्बर के नवीन खसरा नम्बर बनाते समय खसरा नम्बर 105 रकवा 0.14 किस्म गैर मुमकिन रास्ता , 184 रकवा 0.10 चाही तृतीय बनाये गये है। तहसीलदार बयाना ने अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 105 रकवा 0.14 में मौके पर कोई रास्ता नहीं है। उक्त खसरा नम्बर कृषि हेतु उपयोग में लिया जा रहा है अकित किया है अर्थात दौराने सैटिलमैन्ट खसरा नम्बर 105 रकवा 0.14 को सहवन गलत गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया है। जिसे शुद्व किया जाना उचित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 लैण्ड रैवन्यू एक्ट स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार बयाना को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम लहचोरा खुर्द तहसील बयाना के नवीन खसरा नम्बर 105 रकवा 0.14 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता को कलमजन कर किस्म वारानी दर्ज करे। शेष अंकन बदस्तूर रहे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बयाना को भेजी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 [illegible] द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:37:12 IST
Reason: SelfAttested

सुनील आर्य (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
बयाना (भरतपुर)